213

दिनांक–28.05.2012 को विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

(1) उपस्थिति संलग्न

(2) पिछली बैठक के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन पर हुयी चर्चा इस प्रकार रही –

भू–अर्जन कार्य :–

(1) **केहुनिया नाला अगुमेटेशन योजना** :– भू–अर्जन कार्य पूर्ण हो गया है। आगे किसी तरह की परेशानी से बचने के लिये भूमि का नामांतरण कराकर भू–राजस्व का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर ली जाये।

निदेश :–

नामांतरण एवं भू–राजस्व की एक छाया प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये।

(कार्रवाई–कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल–गढ़वा)

(2) **धनकट्टी नाला के अगुमेंटेशन योजना** :– ग्राम छितौनिया एवं चिनिया में क्रमशः अधियाचित रकबा 29.01 हेक्टेयर एवं 60.33 हेक्टेयर के विरूद्ध क्रमशः 5.90 हेक्टेयर एवं 2.20 हेक्टेयर शुद्ध रकबा पारित है जिसे अर्जित करने हेतु धारा 4 के अंतर्गत सूचना निर्गत है।

निदेश :–

i) धनकुट्टी नाला अगुमेटेशन योजना का वीयर निर्माण कार्य प्रगति में है एवं शीघ्र ही लिंक चैनल को आवश्यकता होगी अतः इसकी प्रगति तेज की जाये।

ii) कार्यपालक अभियंता एवं विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी यह सुनिश्चत कर लेगे कि जितनी भूमिं की आवश्यकता है उतनी भूमि हेतु प्रक्रिया आरंभ की गयी है एवं कोई भी हिस्से की कार्रवाई बाकी नहीं है।

(3) **उत्तर कोयल वॉयी मुख्य नहर का भू–अर्जन कार्य** – कुल तीन ग्रामों गाड्डा खुर्द, खरौधा एवं रामाडीह में भू–अर्जन कार्य किया जाना है जिसमे से ग्राम खरौंध का अभी मानपट भी उपलब्ध नही कराया गया है कार्यपालक अभियंता द्वारा यह बतलाया गया कि मानपट प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है एवं दो दिनों में यह प्राप्त हो जायगा।

निदेश :–

चुँकि नहर का निर्माण लगभग पूरा होने को है अतः तुरन्त मानपट प्राप्त कर भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

(कार्रवाई–कार्यपालक अभियंता औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी)

(4) **अमानत बराज एवं अमानत मुख्य नहर का भू–अर्जन कार्य** – ग्राम करमा एवं हरना में भू–अर्जन की कारवाई अभी भी धारा –9 के अंतर्गत है जबकि बराज का निर्माण लगभग पूरा है मात्र 200 मीटर की लंबाई में Left U/S Guide का निर्माण ही बाकी है। औरंगा दाया मुख्य नहर के निर्माण हेतु मात्र बजलपुर ग्राम में भुगतान की कार्रवाई की गयी है। जबकि अन्य 13 ग्रामों में कार्रवाई विभिन्न धाराओ के अंतर्गत है। इस तरह भू अर्जन का कार्य पीछे रहने के कारण योजना को पूरा करने में काफी व्यवधान आयेगा। वैसे भी यह योजना प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार छः वर्ष पीछे हो गयी है।

निदेश :–

भू अर्जन का कार्य जितनी जल्दी हो पूरा किया जाये।

(कार्यवाई– विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं कार्यपालक अभियंता औरंगा निर्माण प्रमंडल पाकी)

(5) **औरंगा दाँयी मुख्य नहर से निस्सृत विभिन्न वितरणियों में भू अर्जन कार्य** – औरंगा दाँयी मुख्य नहर जो अमानत बराज से निकलती है से कई वितरणियाँ भी प्रस्तावित हैं यथा सिक्की वितरणी, बड़ंकुड़ा वितरणी, तरहस्सी वितरणी, देल्हा वितरणी, विषुनपुर वितरणी, मझगाँव वितरणी एवं वजलपुर वितरणी। पूर्व में इनमें से कुछ वितरनियों में कार्य हुआ है पर वन भूमि अपयोजन का कार्य में विलम्ब होने के कारण यह निर्णय हुआ था कि पहले मुख्य नहर का कार्य शून्य से 136.00 आर डी० तक पूरा कर लिया जाये पश्चात् वितरणियों में कार्य कराया जाये लेकिन इस बीच वितरणियों के लिये आवश्यक भू–अर्जन का कार्य पूरा कर लिया जाये।

इस बीच वनभूमि अपयोजन कार्य में प्रगति को देखते हुये इस वर्ष 3rd एवं 4th त्रैमासिक में सिक्की वितरणी एवं बड़कुड़वा वितरणी का कार्य कराये जाने हेतु 500.00 लाख के कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पर विषेष भू अर्जन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि

(1) सिक्की वितणी हेतु कुल 15 ग्रामों में भू–अर्जन कार्य किया जाना है एवं यह सभी धारा–9 के अंतर्गत है।

(2) बड़कुड़वा वितरणी हेतु तीन ग्रामों में भू–अर्जन कार्य होना है जिसमें से दो ग्रामों में यह धारा–9 के अंतर्गत है जब एक ग्राम में अधियाचना प्रेस में है।

(3) तरहस्सी वितरणी हेतु कुल 14 ग्रामों में से तीन ग्रामों में भुगतान संपन्न हुआ है पाँच ग्रामों में धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना निर्मत है अन्य पाँच ग्रामों कार्यपालक अभियंता द्वारा मानपट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भू–अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी है। एक ग्राम में रेखांकन में अंतर होने के कारण अधियाचना में सुधार किया जाना है।

(4) देल्हा वितरणी के लिये कुल पाँच ग्रामों में भू–अर्जन होना है जिसमें चार ग्रामों में धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत की गयी है। जबकि एक ग्राम (टरिया) में ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण मापी संपन्न नहीं हुयी है।

(5) विषुनपुर वितरणी हेतु कुल 9 ग्रामों में भू–अर्जन होना है। एक ग्राम में भुगतान संपन्न हुआ है। दो ग्रामों में भुगतान किया जा रहा है तथा शेष 6 गावों में मानपट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(6) मँझगाँवा वितरणी के लिये कुल 6 ग्रामों में भू–अर्जन कार्य किया जाना है जिसमें से मात्र एक ग्राम में भुगतान हुआ है तथा शेष पाँच ग्रामों में मानपट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुयी है।

(7) बजलपुर वितरणी हेतु मात्र ग्राम बजलपुर में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है जो धारा 4 के अंतर्गत है।

यह स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 वितरणीयों के निर्माण हेतु भू–अर्जन्न की कार्रवाई काफी पीछे है जो योजना को ससमय पूरा किये जाने में बाधक बनेगा।

यह भी स्पष्ठ नहीं है कि इन वितरणियों हेतु जितनी मात्रा में भू–अर्जन की कार्रवाई करने की योजना है वह इसके निर्माण हेतु पर्याप्त है अथवा कुछ और भूमि के अर्जन की आवष्यकता होगी।

निदेश :–

(i) जहाँ–जहाँ भू–अर्जन मानपट उपलब्ध नहीं कराया गया है – इसे 30 जून 2012 तक पूरा किया जाये।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

(ii) सभी भू–अर्जन कार्यों की समीक्षा मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं विषेष भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ case to case basis पर करें एवं यह चिन्हित करें कि किस मामले में कोई विषेष अड़चन है। यदि आगे प्रक्रिया smoothly चलने की संभवना है तो ठीक अन्यया जहां कोई जटिलता नजर आती ही उसे 30 जून तक विभाग को प्रतिवेदित करे।

(iii) सभी भू–अर्जन प्रस्तावों की समीक्षा कर यह सुनिष्चित करें कि भू–अर्जन प्रस्ताव पर्याप्त हैं तथा इस योजना हेतु कोई नया प्रस्ताव की आवष्यकता नहीं है अन्यथा प्रस्ताव अविलम्ब तैयार करें।

(30 जनू 2012 तक एक प्रतिवेदन दे)

(iv) जहाँ भुगतान हो चुका है उसका नामांतरण करा लिया जाये एवं भू–राजास्व जमा कर रसीद प्राप्त किया जाये। अर्जित जमीन की सुरक्षित एवं encroachment drce रखने हेतु भी प्रस्ताव 30 जून तक दिया जाये।

(v) अगली बैठक में औरंगा मुख्य नहर एवं वितरणियों में भू–अर्जन कार्य की स्थिति Schematic Diagram के साथ प्रतिवेदन दिखाया जाये।

6 **बँटाने योजनान्तर्गत भू– अर्जन कार्य–** इस योजनान्तर्गत दाँये मुख्य नहर में ग्राम भंवर में भू–अर्जन हेतु धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत की गयी है। जबकि डूबाक्षेत्र में कुल 7 ग्रामों में भू–अर्जन कि कार्यवाही धारा 9 के अंतर्गत हे अथवा इससे भी नीचे हैं यहाँ भी अधियाचित रकवा एवं शुद्ध पारित रकबा में काफी अंतर है। बटाने डैम में गेट लगाकर जलाशय में पानी एकत्र करने की योजना इस वर्ष मानसून की अवधि में है।

निदेश :–

सभी ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई तेज की जाएगी एवं अगली बैठक में ग्रामवार प्रगति बतलायी जाये।

योजनाओं का निर्माण कार्य:–

बँटाने जलाशय योजना :– इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य चल रहे हैं–

(i) बँटाने बाँध एवं बराज के सभी प्रकार के गेटों एवं Control Room को पूर्ण करने का कार्य।

(ii) दाहिने मुख्य नहर के चेन सं॰ 0से 110.00 तक तथा 200 से 390.00 तट मिट्टी का कार्य।

(iii) दाहिने मुख्य नहर में पाँच संरचनाओं (सी॰डी॰) का निर्माण कार्य

उपर्युक्त कार्यो के पुर्ण हो जाने पर बँटाने जलाषय योजना का कार्य झारखंड राज्य में पूर्ण हो जायेगा। मात्र पुनर्वास कार्यो के अंतर्गत पुनर्वास कार्य एवं मुवावजा भुगतान को कार्यशेष रहेगा। मुख्य अभियंता द्वारा बतलाया गया कि बँटाने बाँध में गेट लगाने का कार्य विस्थापितों के मुआवजा भुगतान का कार्य पूरा नही हो पाने के कारण नही हो पा रहा था। मुआवजा भुगतान हेतु 589.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया था जिससे 5,75,13000/– (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार) रूपये को भुगतान 369 विस्थापित परिवारों के बीच किया जा चुका है शेष मुआवजा भुगतान हेतु 952 लाख की आवश्यकता है जो कि शेष 678 परिवारों में भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार मुआवजा भुगतान प्रारंभ हो जाने के कारण डैम में गेट लग जाने की संभावना बनी है। साथ ही साथ दाहिने मुख्य नहर के चे.सं॰ 446 के सी॰डी॰ को छोड़कर झारखण्ड राज्य अवस्थित नहर का पूरा कार्य (संरचना सहित) एक महीने में समाप्त हो जायेगा जिससे उम्मीद है कि आगामी खरीफ मौसम में दाहिने मुख्य नहर से सिंचाई प्रारंभ हो सकेगा।

निदेश :–

(i) बँटाने डैम के अन्डरस्लूइस एव Irrigation Sluice के गेटों का अधिष्ठापन कार्य आगामी मानसून के पूर्व पूरा कर लिया जाये ताकि आगामी मानसून में जलाशय में आंशिक रूप से ही सही जल संग्रहण का कार्य हो सके।

(ii) दाहिने मुख्य नहर का कार्य पूरा कर एवं स्थिति का आकलन कर विभाग को 15 जून तक स्थिति भेजा जाये ताकि इस नहर का आगामी खरीफ मौसम में उद्द उद्घाटन कार्य पर विचार किया जा सके।

(iii) योजना के संयुक्त अव्यओं में कराये गये कार्य का उपलब्ध कराये जाये निधि के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन दिनों के अंदर भेजा जाये तथा शेष विस्थापितों के मुआवजा भुगतान हेतु राशि की गणना का प्रतिवेदन दिया जाये ताकि बिहार सरकार से निधि की माँग की जा सके।

कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल गढ़वा द्वारा बताया गया कि उनके परिक्षेत्राधीन अनराज ज॰यो॰ के गेटों का यांत्रिक कार्य कराया जा रहा है जिसके लिए रूपये 22.88 लाख की आवश्यकता है पर रूपये 10 लाख का आवंटन निर्गत के क्रम में है साथ ही उनमें परिक्षेत्राधीन विभिन्न सिंचाई योजनाओं के मरम्मति कार्य हेतु रूपये 199.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रूपये 170 लाख की आवश्यकता है रूपये 40 लाख का आवंटन निर्गत के क्रम मे है।

निदेश दिया गया कि निर्गत राशि के व्यय के उपरान्त अवशेष राशि के आवंटन पर विचार किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि उनसे परिक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के मरम्मति कार्य हेतु पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में निविदाए प्राप्त की जा चुकी है। उपरोक्त मरम्मति कार्य हेतु निधि की आवश्यकता है

उत्तर कोयल जलाशय योजना

उत्तर कोयल जलाशय योजना का वर्त्तमान कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

उत्तर कोयल डैम मोहम्मदगंज बराज (शिविरों सहित) बाँयी मुख्य नहर एवं दाँयी मुख्य नहर (0 से 103 आर॰ डी॰ तक (Up to Jharkhand Bihar Border)	–	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी
दाँयी मुख्य नहर के शून्य से 103.00 आर॰ डी॰ के बीच झारखण्ड राज्य अवस्थित 9 अदद वितरणियों का कार्य	–	जल पथ प्रमंडल, मेदिनीनगर

स्थिति निम्नवत पायी गयी

उत्तर कोयल डैम :– वर्त्तमान में वन भूमि अपयोजन नहीं हो पाने के कारण यहाँ कोई कार्य नहीं चल रहा है।

मोहम्मदगंज बराज :– बराज का कार्य केवल 18 अदद डेव स्लैब की Casting को छोड़कर पूरा है। डेव स्लैब Casting की निविदा आमंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से निविदा पर लगी रोक हटाने की कर्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात निविदा की जायेगी।

बराज से निस्सृत बाँयी मुख्य नहर की कुल लंबाई 39 आर॰ डी॰ है जिसमें से ग्राम खरौधा में भू–अर्जन नहीं हो पाने के कारण लगभग 1.50 आर॰ डी॰ लंबाई में नहर का निर्माण का कार्य नहीं कराया जा सका है।

इसके अतिरिक्त एकरारनामा सं॰ 74 F2/200809 के अंतर्गत बाँयी मुख्य नहर के आर॰ डी॰ 1.00 एवं 31.00 पर सी॰ डी॰ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। चर्चा में यह बात सामने आयी कि 31.00 द्वारा डी॰ पर सी॰ डी॰ निर्माण का कार्य समाप्ति पर है पर आर॰ डी॰ 1.00 पर सी॰ डी॰ रेखांकण को लेकर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्रामीण सी॰ डी॰ का रेखांकण इस प्रकार रखना चाहते हैं जिससे कि नाले का जलश्राव पूर्व से निर्मित एक सिंचाई तालाब में एक हो सके।

उत्तर कोयल बाँयी मुख्य नहर से प्रस्तावित एकमात्र कोडी वितरणी का अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु सर्वेक्षण के लिये प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचल कार्यालय को समर्पित किया गया है।

निदेश :–

(i) बराज के अवशेष डेक स्लैब की कास्टिगं हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा निविदा निष्पादन पर लगायी गयी रोक को हटाने जाने हेतु मुख्य अभियंता,मेदिनीनगर, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद से संपर्क स्थापित कर उनके द्वारा याचिकाकर्त्ता में एच एस० सी० एल० से न्यायालय में यह शपथदायर करने का आग्रह करे कि चूँकि उनका अंतिम विपत्र पारित कर भुगतान किया जा चुका है अतः अब यदि झारखंड सरकार द्वारा अवशेष डेक स्लैब निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उल्लेखनीय है कि जल संसधान विभाग बिहार सरकार द्वारा में एच० एस० सी० एल० का अंतिम विपत्र पारित कर भुगतान किया जा चुका है।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

(ii) कांडी वितरणी के सर्वेक्षण हेतु प्रमंडल द्वारा समर्पित प्राक्कलन पर नियमानुसार उचित कार्रवाई अंचल कार्यायल द्वारा 10 दिनों में की जाये।

(कार्रवाई – अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर)

(iii) बाँयी मुख्य नहर के आर० 1.00 पर प्रस्तावित सी० डी० का निर्माण 1 सप्ताह में प्रारंभ कराया जाये।

(कार्रवाई – कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी)

(iv) दाँयी मुख्य नहर से निस्सृत 9 अदद वितरणियों में जो कार्य बचा रह गया है उसका कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें 30 जून 2012 तक पूरा किया जाये।

(कार्रवाई – कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी)

<u>उत्तरकोयल परियोजना के अंतर्गत पुराने एकरारमामों का मामला –</u>

विगत बैठकों में यह निदेश दिया जाता रहा है कि उत्तर कोयल परियोजना में सभी एकरारनामा के अंतर्गत कार्यों पर एक प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ मुख्य अभियंता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि इन एकरारनामा के कार्यों पर आगे किस तरह की कार्रववाई अपेक्षित है। बैठक में कार्यपालक अभियंता औरंगा निर्माण प्रमंडल पांकी द्वारा इस संबंध में एक पृष्ठ का एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें कुल 13 अदद एकरारनामों के अंतर्गत कार्य का नाम अंकित करते हुये एकरारित राशि एवं भौतिक प्रगति का प्रतिशत में उल्लेख किया गया है। इसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन 13 एकरारनामों के अतिरित भी कुछ कार्य हैं जिनका वर्णन प्रतिवेदन में नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता का हस्ताक्षर भी नहीं है न ही उनका मंतव्य अंकित किया गया है जिससे कि इनके कार्यक्रम स्वीकृति, कराये गये कार्य का भुगतान आगे बेंचे, हुये कार्य को पूरा कराये जाने पर निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त चूँकि ये सभी कार्य योजना के संयुक्त अवयवों से संबंधित हैं अतः इस पर जल संसाधन विभाग बिहार सरकार का मंतव्य भी उन्हे प्राप्त करना चाहिये था।

निर्देश :–

उपरोक्त के आलोक में सभी एकरारनामों के कार्यो का विवरण देते हुये, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग औरंगाबाद का मत प्राप्त करते हुये अपना मंतव्य विभाग को 20 दिनों के अंतर्गत प्रेषित किया जाये।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

संयुक्त अवयावों का कार्यक्रम

उत्तर कोयल परियोजना के संयुक्त अवयवों के कार्यों का कार्यक्रम वर्ष 2012–13 के लिए अभी तक निम्न कारणो से स्वीकृति नही किया जा सकता है–

(1) संयुक्त अवयवों का कार्यक्रम पर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग औरंगाबाद की सहमति प्राप्त कर विभाग को उपस्थापित नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 2006 में दोनों राज्यों के बीच MOU प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद झारखंड सरकार द्वारा अभी तक राज्य सरकार की निधि से संयुक्त अवयवों का कार्य बिहार सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा में कराया जाता रहा है पर बिहार सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं भेजे जाने के कारण उनके हिस्से की राशि झारखण्ड को प्राप्त नहीं हो सकी है।

निर्देश :–

(i) मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग औरंगाबाद के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ योजना के संयुक्त अवयवों का कार्यक्रम 7 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(ii) अब तक संयुक्त अवयवों पर हुये व्यय में से बिहार सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को देय राशि की गणना कर विभाग को 10 दिनों के अंदर उपस्थापित किया जाये जिससे कि निधि की माँग की जा सके।

अमानत बराज योजना

इस योजना अवयव एवं विभिन्न प्रमण्डलों में कार्य क्षेत्र का बँटवारा इस प्रकार है–

अमानत बराज योजना का शीर्ष कार्य, बराज से निसृत 136.50 आर डी० लेबी मुख्य नहर	–	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी
136.50 आर० डी लेबी मुख्य नहर के विभिन्न विन्दुओं से निस्सृत लघु नहरें	–	रूपांकण प्रमण्डल सं०–1, मेदिनीनगर

प्रारभ में उपरोक्त सभी कार्य अवयवों पर कार्य प्रारंभ कराया गया था पर बाद में मुख्य नहर में शामिल वनभूमि (42.00 आर से 136.50 आर० डी के बीच विभिन्न पैचों में) उपयोजन के कार्य में विलम्ब होने के कारण Stretegy निम्न प्रकार से बनायी गयी –

- बराज का शीर्ष कार्य शत प्रतिशत पूरा कराया जाये क्योंकि इसमें वन भूमि नहीं है।

➢ मुख्य नहर का शून्य से 42.00 आर डी० तक का कार्य इसके वितरणियों के साथ पूरा किया जाये क्योकि इसमें भी वनभूमि नहीं है।

➢ 42.00 आर०डी० से आगे उन्हीं एकरारनामा के अंतर्गत कार्य कराया जाये जहाँ कार्य चल रहा है एवं नये कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाये। इस रीप में आनेवाले माहनर का कार्य भी वनभूमि अपयोजन तक स्थगित रखा जाये।

अब वन भूमि अपयोजन कार्य में प्रगति को देखते हुये मुख्य नहर की पूरी लंबाई में (वनभूमि के हिस्से को छोड़कर) कार्यक्रम की स्वीकृति की कार्रवाई की गयी है जिसमें 42.00 आर० डी० से 136.50 आर० डी० के बीच निस्सृत लघु नहरों का कार्य भी शामिल है।

➢ योजना के वनभूमि अपयोजन के संबंध में बैठक में सूचना दी गयी कि प्रस्तावित क्षतिपूरक भूमि को वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अमानत बराज के U/S Left Guide Bund का कार्य लगभग 200 मीटर में नहीं हो सका है जिससे बराज के गेटों की अगामी मौनसून में Close करना संभव नहीं होगा।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि जनाक्रोश के चलते यह कार्य नहीं हो पा रहा है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह कार्य आगामी 20 दिनों में संपन्न हो जायेगा।

<u>मे०आर०डी० डेवलपर्स के दो एकरारनामा 34 F_2 एवं 35 F_2 वर्ष 2007–08 का मामला</u>

परिस्थिति विशेष में विभागीय पत्रांक–969 दिनांक– 13.09.2011 द्वारा मे आर०डी० डेवलपर्स के औरंगा निर्माण प्रमंडल पांकी के अंतर्गत उपरोक्त दोनों एकरनामा के अंतर्गत चल रहे कार्यो के अंतिम मापी लेकर एकरारनामा बंद कर देने का निदेश दिया गया था जिसके संबंध में यह सूचना प्राप्त हुयी कि यह अभी तक नहीं हो सका है। इस विलम्ब का कारण नहीं बतलाया गया।

निदेश :–

(i) बराज के Guide Bund का कार्य आगामी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व पूरा करा लिया जाये।

(कार्रवाई – मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

(ii) वनभूमि अपयोजन हेतु क्षतिपूरक वन भूमि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब इसके आगे की कार्रवाई वन एवं पर्यावरण विभाग से करायी जाये तथा अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन विभाग को 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाये।

(iii) कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमंडल उपरोक्त दोनों एकरारनामा 34 F_2 एवं 35 F_2 वर्ष 2007–08 को 10 दिनों के अंतर्गत अंतिम मापी लेकर बंद करे अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना के लिये नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

<u>जल पथ प्रमंडल गढ़वा</u>

(1) केहुनिया नाला अगुमेटेशन योजना :–

मात्र लिंक चैनल में 40 मीटर के हिस्से में structure का Design Final नहीं हो पाने के कारण योजना को अपूर्ण बताया गया अन्यथा योजना का वाकी कार्य पूरा है। मुख्य अभियंता अधीनस्थ पदाधिकारियों के

साथ स्थल भ्रमण कर 40 मीटर बँचे हिस्से में बनाये जाने वाले संरचना का रूपांकण को अंतिम रूप देकर योजना को जून 2012 पूर्ण कराने का कार्य करायें।

(2) धनकुट्टी नाला अगुमेटेशन योजना :–

अभी योजना में मात्र Weir Portion का ही कार्य कराया जा रहा है जबकि लिंक चैनल एवं इस चैनल में पड़नेवाली संरचनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। विमर्श में यह बात सामने आयी कि वीयर का कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व पूरा कर लेना आवश्यक है एवं इसके बाद लिंक चैनल का कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। पूरा कार्य एक ही एजेंसी को आवंटित है।

निर्देश :–

धनकट्टी नाला अगुमेंटेशन योजना का कार्य दिसम्बर 2012 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा जाये एवं इस की प्रगति से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को लगातार भेजा जाता रहे।

(कार्रवाई– कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल, गढ़वा)

कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊँटारी :–

इस प्रमण्डल के अंर्तगत डोमनीनाला बराज योजना का कार्य, है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है पर कार्य तभी कराया जाना है जब इस योजना को AIBP के अंतर्गत शामिल कर लिया जाये। इस हेतु योजना के डी०पी० आर की प्रतियां केन्द्रीय जल आयोग के राँची स्थित परियोजना मूल्यांकन निदेशालय को भेजी गयी थी जहां से इसे Guidelines for submission, Appraisal and clearance of Irrigation & Multipurpose projects 2010 के अनुसार परिमार्जित कर पुनः 8 set में भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि इस इस हेतु निधि को माँग विभाग से की गयी है। मोनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा जानकारी दी गयी कि इस पर कारवाई की जा चुकी है एवं यह प्रक्रियाधीन है।

निर्देश :–

आवंटन प्राप्त हो जाने के बाद दो महीने के अंदर Revised DPR तैयार कर पूनः CWC के राँची अवस्थित कार्यालय को समार्पित किया जाये।

(कार्रवाई–कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध भवन नगर ऊँटारी)

अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा

32 अदद कटाव निरोध Boulder stud बनाये जाने का कार्य :–

कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि आंमत्रित की गये निविदा को पुलिस अधीक्षक गढ़वा द्वारा रदद् किये जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि उन्हें शिकायत प्राप्त हुआ है कि कुछ निविदादाताओं से निविदा दस्तावेज की छीना झपटी कर उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया गया है। कार्य की लागत पचास लाख से कम है।

(20)

निर्देश :–

उपरोक्त घटना दुबारा निविदा करने पर भी न हो इस Risk को समाप्त करने के लिये as a special case इस कार्य की E-tendering की जाये।

मयल जलाशय योजना के बाँध के पास किसी कंपनी द्वारा खतरनाक तरीके से किया जा रहा उत्खनन कार्य –

बैठक में यह बात चर्चा में आयी कि जल पथ प्रमंडल, मेदिनीनगर अंतर्गत मलय जलाशय योजना के बाँध के पास किसी कंपनी द्वारा ग्रैफाइट का उत्खनन वर्षों से किया जा रहा है जो कि बाँध की सुरक्षा के लिये अत्यंत खतरनाक है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा अनेक पत्राचार जिले के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से किया जाता रहा है पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। मोनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा यह जानकारी दी गयी कि पूर्व में इस संबंध में विभाग द्वारा उपायुक्त एवं खान विभाग से पत्राचार किया गया था पर बीच में इस मासले के संबंध में कोई प्रतिवेदन क्षेत्र से नहीं आने के कारण आगे कार्रवाई नही की गयी है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि इसी प्रकार उत्खनन कार्य जारी रहा तो यह डैम की सुरक्षा के लिये खतरनाक हो सकता है अतः विभाग के स्तर से इस पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

निर्देश :–

(i) विभाग द्वारा उपायुक्त पलामू एवं पुलिस अधीक्षक पलामू को पत्र दिया जाये।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग)

(ii) कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से बार–बार स्मार देते रहें।

(iii) विभाग में इससे संबंधित संचिका क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सभी प्रतिवेदनों/पत्रों के साथ उपस्थापित की जाये।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग)

(iv) मुख्यालय से मोनिटरिंग प्रकोष्ठ के दो अभियंताओं का एक दल बाँध स्थल पर क्षेत्रीय पदाधिकारीयों के साथ जाकर स्थिति का अध्ययन कर एक प्रतिवेदन 10 दिनों में विभाग को उपलब्ध कराये।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग)

Interlinking of Rivers राज्य से संबंधित जिन चार Interlinking Projects का Pre-Feasibility Report तैयार किया गया है उनमें से एक है – Ganga- Sone North Koel, Kiual Interlinking projects इसमें उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास Ganga पर बराज बनाकर गंगा का अतिरिक्त पानी सोन नदी पर प्रस्तावित Indrapuri Dam (पुराना नाम कदवन डैम) में मिलाना है फिर Indrapuri Dam के दायें तरफ से लिंक चैनल द्वारा पानी Kiul River in Bihar में Out fall कराना है। यह Channel झाखण्ड राज्य में उत्तर कोयल नदी को मोहम्मदगंज बराज के पास Barrage के D/S में Cross करता है। यह योजना झारखण्ड के लिये अपने वर्त्तमान स्वरूप में लाभकारी नहीं है। NWDA की पूर्व में इस

विषय पर संपन्न बैठक में झारखण्ड राज्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि लिंक चैनल को मोहम्मदगंज बराज के Upstream में Level Crossing द्वारा Cross कराया जाता है तो एक तो नदी पर Structure बनाने का खर्च बचेगा दूसरे इससे मोहम्मदगंज बराज से Irrigation भी Stablise होगा। NWDA द्वारा बराज के U/S से Link Channel को Cross करने की संभाव्यता झारखण्ड को बतलाने को कहा गया है। इस संबंध में प्रस्तावित Indrapuri Dam से उत्तर कोयल नदी तक L-Section एवं अन्य Topographer Survey किया जाना है।

निर्देश :–

उपरोक्त सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर विभाग को उपस्थापित किया जाये।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)

<u>उत्तर कोयल नदी बेसिन का मास्टर प्लान तैयार किया जाना :–</u>

राज्य में विभिन्न नदियों से प्रभावी सिंचाई व्यवस्था किये जाने हेतु नदी बेसिनवार मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाना है। इस हेतु विभागीय पत्रांक–140,0 दिनांक–25.01.2012 एवं विभागीय पत्रांक–438 दिनांक–10.04.2012 द्वारा सभी मुख्य अभियंताओं को अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित बेसिन का से आकड़ा एक कर केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीगनर का कार्यक्षेत्र मख्यतः उत्तर कोयल एवं कनहर बेसिन से संबंधित है। इससे संबंधित आकड़ा अभी तक उपलब्ध नही कराया गया है। इन दोनों बेसिनों में राज्य के उपयोग हेतु उपलब्ध जल के लिये अंतिम रूप से जिन–जिन मध्यम एवं वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाना है उसका प्रस्ताव योजना के अनुमानित Salient Features के साथ तैयार किया जाना होगा। इस हेतु निर्मित, निर्माणाधीन प्रस्तावित एवं अन्य संभावित योजनओं का स्वरूप निधारित किया जाना होगा।

निर्देश :–

मास्टर प्लान तैयार किये जाने से संबंधित सभी उपलब्ध आंकड़ा लेकर मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग अगली बैठक में चर्चा हेतु साथ लायेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायगे।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं उनसे संबंधित सभी कार्यपालक एवं अधीक्षण अभियंता)

कार्रवाई पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

202

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितं। वे अपने स्तर से इसकी एक प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं पुनर्वास पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर सहित सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/आप्त सचिव अभियंता प्रमुख–1/2 एवं विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 694 /राँची, दिनांक :– 18.06.2012

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव